

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेस विज्ञप्ति

सिविल सेवा दिवस (21 अप्रैल) के अवसर पर सुशासन के क्षेत्र में प्रतिवर्ष उत्कृष्ट दृष्टांतों को सम्मानित करने के लिए "Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration " की स्थापना की गई है। उक्त पुरस्कार भारत सरकार के प्राथमिक योजनाओं के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त न्वोन्मेषी (innovative) पहल जिसमें पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल केन्द्रित विषय आदि को समावेशित किया गया है, के लिए भी पुरस्कृत किए जाने की योजना है।

2. सिविल सेवा दिवस 2017 के पुरस्कारों में भारत सरकार के निम्न प्राथमिक योजनाओं को चयनित किया गया है :-

- (i) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- (ii) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
- (iii) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- (iv) स्टार्ट अप इंडिया / स्टैण्ड अप इंडिया
- (v) ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (नेशनल ई-मंडी)

3. उक्त पुरस्कार के लिए भारत सरकार के प्राथमिक योजनाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में आवेदन जिला कार्यालय तथा न्वोन्मेषी (innovative) योजनाओं के संदर्भ में आवेदन राज्य सरकार के साथ-साथ जिलों द्वारा भी भेजा जा सकता है। अप्रैल, 2015 से दिसम्बर, 2016 की अवधि में किए गए क्रियान्वयन ही पुरस्कार के लिए विचारित किए जा सकेंगे।

4. प्राथमिक योजनाओं के क्रियान्वयन श्रेणी में पुरस्कार हेतु प्रत्येक जिला द्वारा कम से कम एक मनोनयन किया जाना अनिवार्य है। एक से अधिक योजनाओं के लिए भी जिलों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

5. पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल केन्द्रित विषय पर न्वोन्मेषी (innovative) कार्यों के लिए राज्य सरकार/जिला कार्यालयों के द्वारा मनोनयन किया जा सकेगा।

6. उक्त पुरस्कार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि 01.01.2017 से प्रारम्भ होगी। पुरस्कार हेतु मनोनयन की तैयारी के क्रम में क्रियान्वयन एजेंसी के द्वारा सम्बन्धित योजनाओं के दिशानिर्देशों का अक्षरशः कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना आवश्यक होगा ताकि पुरस्कार के मानदंडों पर प्रस्ताव का चयन सम्भव हो सके।

7. प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा पुरस्कार हेतु मनोनयन के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुश्रवण किया जा रहा है। उक्त क्रम में चिन्हित प्राथमिक योजनाओं में से न्यूनतम एक योजना के मनोनयन के सम्बन्ध में जिला स्तर पर योजना को चिन्हित करने की आवश्यकता है तथा जिला के उपायुक्तों के द्वारा भारत सरकार द्वारा परिचारित प्रपत्र में दिनांक 20.09.2016 तक सूचना समेकित करते हुए इस विभाग को उपलब्ध कराया जाना है।